



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, रविवार, 13 जुलाई, 2025 ई०

आषाढ़ 22, 1947 शक सम्वत्

राज्य निर्वाचन आयोग,

उत्तराखण्ड

सं० 1759/रा०नि०आ०अनु०-2/4324/2025

देहरादून, 13 जुलाई, 2025

आदेश

मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 503 (एम०बी०) वर्ष 2025 शक्ति सिंह बर्थवाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिनांक 11 जुलाई, 2025 को पारित आदेश के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा एक स्पष्टता (Clarification) प्रार्थना-पत्र मा० उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है जिस पर दिनांक 14.07.2025 को पूर्वाह्न में सुनवाई होनी नियत हुई है।

अतः इस संबंध में आयोग की अधिसूचना (संशोधित) संख्या 1303/रा०नि०आ०अनु०-2/4324/2025 दिनांक 28 जून, 2025 में "निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि" हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक 14.07.2025 को उम्मीदवारों हेतु निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही को अपराह्न 02.00 बजे तक स्थगित किया जाता है।

सुशील कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त।